

(ख) क्या ये जलूम या प्रदर्शन शांति-पूर्वक निकल गये ?

†[PROCESSIONS AND DEMONSTRATIONS BY ORGANISATIONS IN DELHI AND NEW DELHI

1488. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of processions taken out and demonstrations held in Delhi and New Delhi by different organisations during the last four months; and

(b) whether these processions and demonstrations passed off peacefully?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त) : (क) और (ख), पहली मई, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५७ तक ८१ जलूस निकले और २१९ प्रदर्शन किये गये। सात के अलावा ये सभी शांतिपूर्वक निकल गये।

†[THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GOVIND BALLABH PANT): (a) and (b). 81 Processions and 219 demonstrations were held from 1st May 1957 to 31st August 1957. Of these, all except seven were peaceful.]

दिल्ली में साइकिलों की चोरियाँ

१४८९. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो मास में दिल्ली में साइकिल की चोरी के कितने मामलों पकड़े गये ; और

(ख) इन मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†[CYCLE THEFTS IN DELHI

1489. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of cycle-theft which were detected in Delhi during the last two months; and

(b) the action which is being taken in connection with these cases?]

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) १९।

(ख) सभी १९ मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) 19.

(b) All the 19 cases have been sent up for trial.]

साइकिल पर एक से अधिक व्यक्ति चढ़ने के कारण चालान

१४९०. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में दिल्ली में साइकिल पर एक से अधिक व्यक्तियों के चढ़ने के कारण कितने लोगों का चालान किया गया ; और

(ख) इन मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†[PERSONS CHALLANED FOR RIDING MORE THAN ONE PERSON ON CYCLE

1490. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many persons were challaned in Delhi during the last three

months for using a cycle for carrying more than one person; and

(b) what action is being taken in those cases?]

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) १९६५ ।

(ख) १९६५ मामलों में से २०३ में दंड दिया गया, २६ मामले समाप्त कर दिये गये और १७३६ व्यक्तियों के विरुद्ध मामले अदालत में विचाराधीन हैं ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) 1965.

(b) Of the 1965 cases 203 have resulted in conviction, 26 cases have been dropped and cases against 1736 persons are pending in courts.]

दिल्ली में जेब कतरने के मामले

१४९१. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो मास में दिल्ली में जेब कतरने के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) इन मामलों के अन्तर्ग्रस्त जेब कतरने वाले व्यक्तियों में (१) कितनी स्त्रियां और (२) कितने बच्चे हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†[CASES OF PICK-POCKETING IN DELHI

1491. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of pick-pocketing which were detected in Delhi during the last two months;

(b) the number of the pick-pockets involved in these cases who were (i) women, and (ii) children; and

(c) what action is being taken against them?]

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) ८९ ।

(ख) स्त्रियां—१, बच्चे—३ ।

(ग) ८९ मामलों में से ३१ अदालत में विचाराधीन हैं, ३३ की जांच-पड़ताल हो रही है, २३ मामलों को कुछ पता न चलने के कारण फाइल कर दिया गया, एक को सजा दी गई और एक मामले में अपराधी को बरी कर दिया गया ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) 89.

(b) Woman 1; Children 3;

(c) Out of 89 cases, 31 are pending in courts, 33 are pending investigation, 23 have been filed as untraced, one has resulted in conviction and in one case, the accused has been acquitted.]

दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ की धारा ११० के अधीन कारावास

१४९२. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंड-प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ११० के अधीन इस समय दिल्ली में कितने व्यक्ति जेल में हैं और कितने व्यक्ति जमानत पर हैं ; और

(ख) गत तीन मास में इस धारा के अधीन कितने व्यक्तियों का चालान किया गया ?